हिबह से संबंधित मसाइल

1- हिबह करने वाले को चाहिए कि जो वस्तु हिबह करनी हो, यदि वह विभाजित करने योग्य हो तो उसे विभाजित करके हिबह करे।

2- यदि मुशाअ अर्थात संयुक्त वस्तु को हिबह किया जाए तो यद्यपि क़ीमत व महत्व की दृष्टि से उसके विभिन्न भागों की हैसियत में फ़र्क़ हो लेकिन उसके विभाजन और क़ब्ज़ा के सिलसिले में उन लोगों के बीच कोई आपसी विवाद न हो जिनको हिबह की गयी है तो यह हिबह सही है।

3- हिबह के पूर्ण होने के लिए शर्त है कि जिसको हिबह किया गया वह उस पर क़ब्ज़ा भी कर ले।

4- जिसको हिबह किया गया है यदि हिबह करने के समय नाबालिग़ हो और उसकी ओर से अभिभावक क़ब्ज़ा कर ले तो काफ़ी है। व्यस्क होने के बाद दोबारा क़ब्ज़ा की ज़रूरत नहीं।

☆☆☆

नोटः 23वां फ़िक़्ही सेमिनार (जम्बोसर, गुजरात) दिनांक 28-29 रबीउस्सानी व एक जमादिल ऊ ला 1435 हि0 - 1-3 मार्च 2014 ई0